न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/105/2025
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/260
प्रवेश तिथि :: 04.07.2025

अपीलार्थी
श्री लोकेश
नि0 वार्ड नं.19, जैन मन्दिर, अलवर

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 11.08.2025

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, किन्तु प्रत्यर्थी को ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने RTI Online Portal पर इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत **आवेदन सं. 293573498913286 दिनांकः 02.06.2025** प्रस्तुत कर, "**राजस्थान संपर्क पोर्टल** पर विगत 02 वर्ष में अलवर की रजिस्टर्ड कम्पलेंट, उनके परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही, कम्पलेंट के निवारण आदि संबंधी विविध 10 बिन्दुओं पर विस्तृत सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नही कराए जाने के कारण हस्तगत अपील, अपीलार्थी द्वारा संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/1058 दिनांकः 30.07.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा अपील में संदर्भित सूचना आवेदन दिनांकः 02.06.2025 में वांछित सूचना बेहद विस्तृत, श्रमसाध्य, समयसाध्य एवं किन्हीं लोक प्राधिकारियों के संसाधनों को विचलित किए जाने स्वरूप सूचना है, साथ ही सूचना खोजबीन कर उपलब्ध कराने स्वरूप/सृजनात्मक/विश्लेषणात्मक प्रकृति की है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों मय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के आलोक में अदेय है, तद्नुसार प्रत्यर्थी द्वारा उनके नियंत्रणाधीन संबंधित अनुभाग से बिन्दुवार प्राप्त सूचना, ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं. 4203159151 दिनांकः 29.07.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 02.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं. 4203159151 दिनांकः 29.07.2025 के माध्यम से **विनिश्चिय कर संसूचित** किया गया है जो कि काफी विलम्ब से किया गया है, अतः भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर अविलम्ब सूचना प्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
9. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम, 2005 के उपाबन्धों के अधीन किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है, **अपील अस्वीकार** की जाकर निस्तारित की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 11.08.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर
अलवर (राज0)